संख्या-14/2019/945/33-3-2019-100(3)/2017

प्रेषक,

सोबरन सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर निर्वाचन आयुक्त/विभागाध्यक्ष,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 09 मई, 2018**

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के व्ययों हेतु अनुदान संख्या-14, लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय, 07-राज्य निर्वाचन आयोग, 08-राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय तथा 11-पंचायतीराज चुनाव हेतु व्यवस्था के अन्तर्गत प्रावधानित/स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2019800787/रा0नि0आ0/लेखा/2019 दिनांक 23.04.2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष **2019-20** के अन्तर्गत अनुदान संख्या**-14** के लेखाशीर्षक **2515-**अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम**-**आयोजनेत्तर**-800-**अन्य व्यय के अन्तर्गत**, 07-**राज्य निर्वाचन आयोग में रू**. 962.05** लाख**, 08-**राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय में रू**. 399.66** लाख तथा **11-** पंचायतीराज चुनाव हेतु व्यवस्था में रू**. 5100.00** लाख इस प्रकार कुल रू**. 6461.71** लाख **(**रू**.** चौसठ करोड़ इकसठ लाख इकहत्तर हजार**)** मात्र जिसका विवरण संलग्न सूची में अंकित किया गया है, को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) विशेष कार्याधिकारी एवं विभागाध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने से संबंधित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत: 02 माह माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(4) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबधं में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-4/2018/आ.जी.-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबधं में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) इस संबधं में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक-2515 के अधीन प्रावधानित सुसंगत इकाईयों (संलग्नक के अनुसार) के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी- 1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(सोबरन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2/आडिट-2, इलाहाबाद।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/राज्य योजना आयोग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सोबरन सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 14/2019/945/33-3-2019-100(3)/2017 दिनांक 09 मई, 2019

का संलग्नक

अनुदान संख्या-14,

लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय,

07- राज्य निर्वाचन आयोग

(धनराशि लाख रू. में)

क्र.सं.	मानक मद का कोड व नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रावधानित धनराशि
1	**01-वेतन**	**556.00**
2	**02-मजदूरी**	**2.00**
3	**03-मंहगाई भत्ता**	**83.40**
4	**04-यात्रा भत्ता**	**5.00**
5	**05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय**	**0.01**
6	**06-अन्य भत्ते**	**5.00**
7	**07-मानदेय**	**0.01**
8	**08-कार्यालय व्यय**	**35.00**
9	**09-विद्युत देय**	**30.00**
10	**10-जलकर/जल प्रभार**	**3.00**
11	**11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई**	**2.00**
12	**12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण**	**5.00**
13	**13-टेलीफोन पर व्यय**	**10.00**
14	**15-गाड़ियों के अनुरक्षण, पेट्रोल आदि की खरीद**	**25.00**
15	**16-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये**	**5.00**
16	**17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व**	**25.00**
17	**29-अनुरक्षण**	**0.01**
18	**42-अन्य व्यय**	**2.00**
19	**44-प्रशिक्षण व्यय**	**1.00**
20	**45-अवकाश यात्रा व्यय**	**0.50**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	**46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय**	**5.00**
22	**47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय**	**5.00**
23	**49-चिकित्सा व्यय**	**20.00**
24	**51-वर्दी व्यय**	**2.00**
25	**52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष**	**35.12**
26	**55-मकान किराया भत्ता**	**45.00**
27	**56-नगर प्रतिकर भत्ता**	**5.00**
28	**58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान**	**50.00**
योग (7)		**962.05**

अनुदान संख्या-14, लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800- अन्य व्यय,

08- राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय

क्र.सं.	**मानक मद का कोड व नाम**	**वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रावधानित धनराशि**
1	**01-वेतन**	**186.00**
2	**03-मंहगाई भत्ता**	**27.90**
3	**04-यात्रा भत्ता**	**1.00**
4	**05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय**	**0.20**
5	**06-अन्य भत्ते**	**5.00**
6	**07-मानदेय**	**0.01**
7	**08-कार्यालय व्यय**	**6.00**
8	**09-विद्युत देय**	**3.00**
9	**10-जलकर/जल प्रभार**	**0.50**
10	**11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई**	**2.00**
11	**12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण**	**1.00**
12	**13-टेलीफोन पर व्यय**	**12.00**
13	**17-किराया, उपशुल्क एंव कर स्वामित्व**	**3.00**
14	**45-अवकाश यात्रा व्यय**	**0.50**

http://shasanadesh.up.nic.in

15	**49-चिकित्सा व्यय**	**15.00**
16	**51-वर्दी व्यय**	**1.00**
17	**52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष**	**20.55**
18	**55-मकान किराया भत्ता**	**10.00**
19	**56-नगर प्रतिकर भत्ता**	**5.00**
20	**58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान**	**100.00**
	योग (8)	**399.66**

अनुदान संख्या-14, लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800- अन्य व्यय, 11-पंचायतीराज चुनाव हेतु व्यवस्था

क्र.सं.	**मानक मद का कोड व नाम**	**वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रावधानित धनराशि**
1	**42- अन्य व्यय**	**5000.00**
2	**46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय**	**100.00**
योग		**5100.00**

महायोग (07+08+11)	**रू. 6461.71 लाख**

(रू. चौंसठ करोड़ इकसठ लाख इकहत्तर हजार मात्र)

(सोबरन सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।